(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 14 / 2025

पंजीकरण संख्या :– 2025 / 71

बउनवान

श्री रविन्द्र कुमार भार्गव निवासी धाकड मोहल्ला, सौलतपुरा कडैयावन तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबडा जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 28.08.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.06.2025 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार छबडा को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी, जो निम्नानुसार है :–

1. राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक / 3(2)राज–6 / 2007 / पार्ट / 5दिनांक 12.09.2018 की पालना के लिए कार्यालय जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) बारॉ द्वारा दिनांक 15.01.2025 को समस्त तहसीलदार को आदेश क्रमांक एफ.16(2)(23)(2) / भू.अ. / एल.आर.सी. / ई–धरती / नोटिफाईड / 2025 / 249 जारी किया गया था। अतः उक्त आदेश की पालना मे क्या कार्यवाही की गयी। प्रतिलिपी सहित उपलब्ध कराने की कृपा करे।
2. राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 तथा दिनांक 12.09.2018 के प्रावधानों के अनुसार मन्दिर की भूमियों हेतु पृथक से पंजिका बनाकर उसमें पुजारियों के नाम दर्ज कर लिए हों तो संधारित पुराजी रजिस्टर की प्रतिलिपी उपलब्ध कराने के कृपा करे।
3. पुजारी पंजिका को पारदर्शी व नियमित रूप से अद्यतन करवाने हेतु पंजिका को ऑनलाईन कम्प्यूअराईज्ड रूप से एल.आर.सी. पर जमाबंदी से लिंक किए जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हो, तो प्रतिलिपी उपलब्ध कराने की कृपा करे।

अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 20[illegible]रा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार छबडा के [illegible] कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उ[illegible]

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 30.07.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार छबडा को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 646–647 दिनांक 30.07.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 646–647 दिनांक 30.07.2025 से तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:48:21 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार छबडा द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/2854 दिनांक 08.08.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाते हुए, अपीलार्थी को भी प्रतिलिपी देते हुये अवगत करवाया गया कि :–

1. एल.आर.सी शाखा मे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारॉ के आदेश की पालना मे ऑफलाईन रजिस्टर को ई–धरती पोर्टल पर ग्रामवार पुजारी पंजिका अनुसार दर्ज कर दिया गया है।
2. राजस्व विभाग द्वारा आदेशित मंदिर की भूमियों की पृथक से पंजिका बनाकर तहसील कार्यालय छबडा की एल.आर. शाखा मे वर्तमान मे संधारित है व ग्रामवार पंजिका रजिस्टर के अनुसार पुजारियों को पूर्व मे जारी नाम व भूमि खसरा नम्बर उनके ग्राम अंकित ई–धरती पोर्टल पर किया जा चुका है।
3. पुजारी पंजिका को प्रदर्शित व नियमित रूप से अंकित करने के लिए प्राप्त आवेदनों को संबंधित हल्का पटवारियों को वर्तमान मे पुजारी व उनके वारिसों की जॉच करने हेतु श्रीमान द्वारा आदेशित नियमानुसार जॉच हेतु प्रेषित कर दिया गया है। जॉच उपरान्त रिपोर्ट के आधार पर व पंचायत सर्जरा व संलग्न दस्तावेज के आधार पर श्रीमान् द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश समय–समय पर अपडेट कार्य किया जा रहा है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार छबडा से अपील के प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार छबडा द्वारा बिंदुवार अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबडा को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **28.08.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:48:21 IST
Reason: SelfAttested